



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022026-269855
CG-DL-E-05022026-269855

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 464]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2026/माघ 14, 1947

No. 464]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2026/MAGHA 14, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2026

का.आ. 493(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का.आ 4717 (अ) दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण भाग II, खण्ड -३, उप खण्ड (II) अधिसूचना संख्या का.आ 4717 (अ) दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 के दिनांकित में निम्नांकित संशोधन करती है।

Sl. No.	मुख्य अधिसूचना में संशोधन की आवश्यकता वाले मामले	संशोधन के लिए विषय इस प्रकार है
	जगह	मामले का विवरण
1	क्रम संख्या 1 कॉलम 2	उपजिल्हाधिकारी, भूसंपदन, बुलढाणा
		“उपजिल्हाधिकारी (भूसंपदन) (इ.व.द)बुलढाणा

[फा. सं. RW/NH-12014/121/2024-MAH/ZONE-IV]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd February, 2026

S.O. 493(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 4717 (E), dated the 17th October, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub- Section (ii) S.O. 4717 (E), dated the 17th October, 2025 namely in the Schedule of the said Notification :

Sl. No.	Matter in Principal Notification that requires amendment		Matter to be Amended as
	Location	Details of Matter	
1	Sl. No. 1 Col 2	Deputy Collector (LA), Buldhana	Deputy Collector (Land Acquisition) (B&C) Buldhana.

[F. No. RW/NH-12014/121/2024-MAH/ZONE-IV]

SHAIKH AMINKHAN, Director